न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

प्रार्थना पत्र 14(4) – 6/19 तारीख रज्जू– 16/04/19

1– इकराम पुत्र ईशाक उम्र 51 वर्ष जाति मुसलमान

2– अख्तर पुत्र रहमुद्दीन उम्र 54 वर्ष निवासीयान पीलवा नदी तहसील मलारना डूगंर।

प्रार्थीगण

बनाम

1– अलानूर पुत्र कल्लू खां उम्र 60 वर्ष जाति मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर।

2– आवंटन सलाहकार समिति जरिये उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर।

3– सरकार जरिये तहसीलदार मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर।

अप्रार्थीगण

निर्णय दि. 28-8-19.

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अर्न्तगत अप्रार्थी संख्या 1 निवासी पीलवा नदी को दिनांक 03/06/82 को ग्राम बाढ पीलवा तहसील मलारना डूगंर में स्थित साविक आराजी खं0नं0 140/5, 140/4 रकबा 9 बिस्वा भूमि के किये गये अवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए भूमि आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी तथा आवंटन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगण 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित तथा अप्रार्थीगण 2 लगायत 3 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाल देते हुए बहस में निवेदन किया है कि ग्राम पीलवा नदी में स्थित भूमि खं0नं0 140/5 व 140/4 पर आवंटन के पूर्व से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है। सम्वत् 2020–2021 पर प्रार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। उक्त वाद–आराजीयात पर प्रार्थीगण की दुकान व कारखाना बना हुआ है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त वाद–आरजीयात पर वरसों से कब्जा है। अप्रार्थीगण द्वारा 183 का दावा न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूगंर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण स्वयं ने सिद्ध किया है कि उक्त वाद आराजीयात पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। आवंटन के पश्चात् आवंटी को मौके पर कब्जा ही नहीं संभलवाया गया था। पटवारी की मौका रिपोर्ट व संरपच की रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाद आराजीयात पर वर्तमान में भी हमारा कब्जा काश्त है, साथ ही वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 03/06/82 को हुआ आवंटन आदेश निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवंटी द्वारा फार्म विधिवत् रूप से भरा गया है। पटवारी द्वारा जांच की गई तथा पूर्ण कोरम में आवंटन किया है तथा प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट हो सके की आवंटन के समय उक्त वाद–आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त हो। प्रार्थीगण द्वारा सम्वत् 2020–21 में उक्त वाद–आरजीयात पर कब्जा होना बताया गया है। जबकि उक्त आवंटन सन् 1982 अर्थात सम्वत् 2039 में हुआ है। आवंटन के समय उक्त वाद आराजीयात पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त था। आवंटन पत्रावली में पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में आवंटन के समय व उससे पूर्व सम्वत् 2038 में आंवटी का कब्जा काश्त होना स्पष्ट अंकित किया हुआ है तथा वर्तमान में आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् आवंटन खारिज किया जाना उचित नहीं है। यदि उक्त भूमि आवंटन के समय प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि थी तो प्रार्थीगण द्वारा लगान भी दिया होगा। जबकि प्रार्थीगण द्वारा लगान की कोई रसीद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। जिससे स्पष्ट है कि आंवटन के समय उक्त वाद–आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त न होकर अप्रार्थीगण (आंवटी) का कब्जा काश्त था,साथ ही वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 03/06/82 को ग्राम बाढ पीलवा में स्थित आराजी ख0नं0 140/3, 140/4, 140/5 कुल रकबा 17 बिस्बा वाके ग्राम बाढ पीलवा में किये गये भूमि आवंटन आदेश को यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि आवंटन संबंधी पत्रावली में पटवारी रिपोर्ट के अनुसार सम्वत् 2038 में भी अप्रार्थीगण का उक्त वाद–आराजीयात पर कब्जा काश्त था तथा उक्त आवंटन आवंटन सलाहकार समिति के पूर्ण कोरम में किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई राजस्व अभिलेख न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे सिद्व हो सके कि आवंटन के समय सम्वत् 2039 तथा 2038 में उक्त वाद अराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त हो। अतः मेरे अभिमत में आवंटन आदेश खारिज योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं0 1 को दिनांक 03/06/82 को ग्राम बाढ पीलवा में स्थित आराजी ख0नं0 140/3, 140/4, 140/5 कुल रकबा 17 बिस्बा भूमि का किया गया अवंटन आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28-8-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर